साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : विद्युतभवन, बेली रोड, पटना-21
CIN No. U40109BR2012SGC018890

कार्यालय आदेश संख्या 470 / दिनांक 06/7/2021 /
SB-X/Misc/Absent/JAC,JAA,BC-40019/19 (Part-I)

सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रगण्डल, रामगढ़ के ज्ञापांक–95 दिनांक–16.03.2019 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संतोष कुमार (E13909), कनीय लेखा लिपिक, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, रामगढ़ के बिना पूर्व सूचना/अनुमति के दिनांक–21.07.2018 से कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भभुआ के ज्ञापांक–533 दिनांक–12.04.2019 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया एवं उसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी।

उक्त मामले पर संज्ञान लेते हुए इस कार्यालय के ज्ञापांक–559 दिनांक–18.07.2019 द्वारा श्री संतोष कुमार को इस मामले में अपना पक्ष 07 (सात) दिनो के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया गया कि क्यों नही उनके अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाय।

उक्त स्पष्टीकरण का जवाब नही मिलने एवं क्षेत्रीय कार्यालय से श्री कुमार के लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में प्राप्त पत्र पर पुनः इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–1002 दिनांक–18.12.2019 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। परन्तु इसका जबाव भी श्री कुमार के स्तर से समर्पित नही किया गया।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भभुआ के पत्रांक–1797 दिनांक–10.12.2019 द्वारा सूचित किया गया कि श्री कुमार दिनांक–21.07.2018 से अबतक लगातार बिना सूचना/अनुमति के अनुपस्थित हैं, साथ ही अवर प्रमण्डल कार्यालय एवं प्रमण्डल कार्यालय द्वारा कई बार अनुपस्थित रहने के संदर्भ में स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करने हेतु निबंधित डाक के माध्यम से उन्हें निदेशित किया गया परन्तु इसके बावजूद भी श्री कुमार द्वारा योगदान नही किया गया। इस संदर्भ में सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, रामगढ़ के पत्रांक–297 दिनांक–09.11.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार को विभागीय कार्य करने में कोई रूचि नही है।

इस कार्यालय द्वारा श्री कुमार को भेजा गया निबंधित पत्र उन्हे प्राप्त हुआ है, इसकी संपुष्टि India Post की Website पर Consignment No द्वारा भी की गयी है।

श्री संतोष कुमार, कनीय लेखा लिपिक, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, रामगढ़ अपने कार्य स्थल से दिनांक–21.07.2018 से ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उन्हें स्पष्टीकरण समर्पित करने तथा योगदान देने हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर से कई पत्र प्रेषित किए गये परन्तु उसके अनुपालन में उनके स्तर से न तो कोई जवाब समर्पित किया गया और न ही योगदान किया गया।

इस सम्बन्ध में इस आशय की सूचना समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर 'दैनिक भाष्कर' तथा 'आज' समाचार पत्रों में दिनांक–17.03.2021 को सूचना प्रकाशित कराई गई। सूचना प्रकाशन के लगभग तीन महीने व्यतीत हो जाने के बावजूद भी श्री संतोष कुमार कनीय लेखा लिपिक के द्वारा न तो योगदान दिया गया और न ही अपने बचाव में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री संतोष कुमार पर विभागीय कार्यवाही संचालित करना व्यवहारिक नही है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 20 (2) के तहत निम्न प्रावधान अंकित है :-

"जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार का अपने द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जाँच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नही है, तो अनुशासनिक प्राधिकार कोई भी नियमानुकूल निर्णय का आदेश पारित कर सकता है।"

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 20 (II) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना संभव नही होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (X) के तहत श्री कुमार को सेवाच्यूत (Removal from Service) का दण्ड प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री संतोष कुमार, कनीय लेखा लिपिक, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, रामगढ़ को तत्क्षण प्रभाव से सेवाच्यूत (Remove from Service) किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति श्री संतोष कुमार, कनीय लेखा लिपिक, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, रामगढ़ को भेज दी जाय।

आदेशानुसार,

ह0/-

(सुरेश कुमार शर्मा)
महाप्रबंधक (मा0 सं0 एवं प्रशा0)
मो0नं0-7763814003

ज्ञापांक../ दिनांक../

निबंधित

प्रतिलिपिः-श्री संतोष कुमार, तदेन कनीय लेखा लिपिक विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, रामगढ़ (कैमूर), पिता-स्व0 सुबोध ठाकुर, स्थायी पता-मोहल्ला-रायसर, पो0-बासुदेवपुर थाना-कोतवाली जिला-मुंगेर, बिहार-811202 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सुरेश कुमार शर्मा)
महाप्रबंधक (मा0 सं0 एवं प्रशा0)
मो0नं0-7763814003

ज्ञापांक.........150.../ दिनांक.....06/7/2021......./

प्रतिलिपिः-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के आप्त सचिव, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रॉंसमिशन कंपनी, पटना/महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0),बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रॉंसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक

(वित्त एवं लेखा)/उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,पटना/बिहार स्टेट पावर ट्राँसमिशन कंपनी लिमिटेड/पटना, लेखा पदाधिकारी (सेवोत्तर लाभ), बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना/CDBA, बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/उपमहाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता., मगध विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, गया/ विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, सासाराम/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), विद्युत आपूर्ति अंचल, सासाराम/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भभुआ(कैमूर)/सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, रामगढ़ (कैमूर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) CDBA से अनुरोध है कि आदेश की प्रति कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

(3) विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत अपूर्ति प्रमण्डल भभुआ से अनुरोध है कि श्री कुमार को आदेश की प्रति हस्तगत कराने की कृपा करें तथा उक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(सुरेश कुमार शर्मा)
महाप्रबंधक (मा0 सं0 एवं प्रशा0)
मो0नं0–7763814003